भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

पत्रावली क्रमांक:07(ii)08/CS/FPA/16/ 2036 दिनांक: 09.06.2022.

संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र में विभिन्न प्रखण्डो में स्थित खजूर के 220 वृक्षों से प्राप्त फलों की तुड़ाई की खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 14.06.2022 को सुबह 11.00 बजे आयोजित की जावेगी।

नियम व शर्तें:

1. संस्थान फार्म के विभिन्न प्रखण्डो से उत्पादित खजूर के 220 वृक्षों से प्राप्त फलों की तुड़ाई की नीलामी की जानी है।
2. उत्पादित खजूर के 220 वृक्षों से प्राप्त फलों की तुड़ाई जिसकी नीलामी की जानी है, इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क किया जा सकता है।
3. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में **रु.2000/- (रुपये दो हजार मात्र**) जमा कराने होगें।
4. जिस व्यकित के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का 50% (पचास प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता को तुडाई कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा तुडाई कार्य शुरु किया जावेगा।
5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की 50% (पचास प्रतिशत) राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। किस स्थिति में द्वीतीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या फलों के विक्रय हेतु पुन: नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
6. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुडाई के दौरान खजूर के वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें। खजूर के वृक्षों के बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
7. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात उत्पादित खजूर पौधों की फलों के 220 पौधो मे लगे फलो को ले जाने का कार्यादेश जारी होने के **एक माह** में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक खजूर के फलों पर नही रहेगा। इस अवधि में खजूर फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
8. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
9. उत्पादित खजूर के फलों की तुड़ाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रात: 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीये अवकाश में फलों की तुडाई नही होगी। प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेगें। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को फलों के तुडाई के लिये नही लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। तोडे गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।
10. जहॉ भी आवश्यक हो वहॉ संस्थान के अनुसंधान कार्यो के लिये उत्पादित खजूर फलों के 220 पौधों में लगे फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे एवं टैग किये पौधों की तुड़ाई तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की उपस्थिति मे ही की जावेगी।

11. खजूर प्रखण्ड में 3–4 पौधे के फलों की पिण्ड अवस्था देखने, बनाने एवं अनुसंधान के उद्देश्य से रखे जा सकते है।

12. उत्पादित खजूर फलों के 220 पौधों में लगे फलों की तुडाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।

13. किसी भी प्राकृतिक आपदा (वर्षा, आंधी-तूफान, पशु एवं पक्षियों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी

14. तुडाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

14. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुडाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

15. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

(रमेश) 9.6.2022

प्रशासनिक अधिकारी